Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 13–2019] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 26 मार्च, 2019
(5 चैत्र, 1940 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 23/के०अ० 10/1994/धा० 31/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 – राज्य में प्रत्येक जिले में जिला न्यायवादी के कार्यालय में पदस्थ उप जिला न्यायवादी को मानव अधिकार न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट करने बारे।	137—138
	2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 18/संवि०/अनु० 309/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 – पंजाब जेल सेवा (श्रेणी II) हरियाणा संशोधन नियम, 2019.	139—140
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग–III

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 मार्च, 2019

संख्या का०आ० 23/के०अ० 10/1994/धा० 31/2019.— मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, राज्य में, प्रत्येक जिले में जिला न्यायवादी के कार्यालय में पदस्थ उप जिला न्यायवादी को मानव अधिकार न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं।

डा० एस० एस० प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 22nd March, 2019

No. S.O. 23/C.A. 10/1994/S. 31/2019.— In exercise of the powers conferred by section 31 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (Central Act 10 of 1994), the Governor of Haryana hereby specifies the Deputy District Attorneys posted in the office of District Attorney in each District in the State of Haryana, to be a Special Public Prosecutor for the purpose of conducting cases in the Human Rights Court.

DR. S. S. PRASAD,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.

56918—C.S.—H.G.P., Chd.